न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3583/तीन/2013 विरूद्व आदेश दिनांक 27.8.2013 – पारित–अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग,ग्वालियर–प्र. क. 70/09–10 निगरानी

1– रामकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद
2– श्रीमती विमला पत्नि राजकुमार
3– बद्री पुत्र अर्जुन लाल
तीनों ग्राम कालामढ़ तहसील पोहरी
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ––आवेदकगण

विरूध्द

1– मध्य प्रदेश शासन
2– जमील खां पुत्र नारंगी मुसलमान
ग्राम कालामढ़ तहसील पोहरी
जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश ––अनावेदकगण

आवेदकगण के अभिभाषक श्री जी.पी.नायक
अनावेदक क–1 के पेनल लायर श्री डी.के.शुक्ला
अनावेदक 2 के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़

आदेश
(आज दिनांक 9–4–2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 70/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27–8–2013 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार पोहरी ने प्रकरण कमांक 60/1999–2000 अ 19 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2000 से ग्राम कालामढ़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 571 के मिन रकबा करके रामकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद को 1.00 है., श्रीमति विमला पत्नि राजकुमार को 0.91 है., बद्रीप्रसाद को 1.00 है भूमि का आवंटन किया, आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया जावेगा) का पटटा प्रदान कर मौके पर कब्जा दिया गया।

पटटाग्रहीताओं ने अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के समक्ष प्रार्थना प्रस्तुत कर बताया कि उन्हें वादग्रस्त भूमि का पटटा स्वीकृत है एंव पटटा प्र दिनांक से पटटा भूमि पर काविज होकर मौके पर कृषि कर रहे हैं किन्तु प का अमल शासकीय अभिलेख में छूट गया है इसलिये ग्राम पंचायत प्रस्ताव/ठहराव अनुसार अमल कराया जावे। अनुविभागीय अधिकारी पोहर प्रकरण कमांक 41/2008—09 बी 121 पंजीबद्व किया एंव सुनवाई / उपरांत आदेश दिनांक 27.4.2009 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.12.2000 का अमल खसरे में किये जा आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक कमांक—2 ने अपर आ ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया। अपर आ ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 70/2009—10 निगरानी में आदेश दिनांक 27—8—2013 से निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अ पोहरी के आदेश दिनांक 27.4.2.09 को निरस्त कर दिया। इसी आदेश के यह निगरानी की गई है।

3/ आवेदकगण एंव अनावेदकगण के अभिभाषकों को बहस में सुन उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभि अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द निगरानीकर्ता(अनावेदक क—2)तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 60 /99—2000 में एंव अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के प्रकरण 41/2008—09 बी 121 में हितबद्व पक्षकार नहीं है ।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा— 50 — निगरानी का हक — को निगरानी का हक प्राप्त नहीं , जो विचारण न्यायालय में पक्षकार न

2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा— 50 — दुखी पक्षकार को ब कि वह आदेश से किस प्रकार दुखी है और उसके हित पर आदे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। शपथपत्र भी देना होगा।

अपर आयुक्त , ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अनावेदक कमांक–2 ने अपील प्रस्तुत करने की अनुमति का आवेदन नहीं दिया है और किस आधार पर वह हितबद्व पक्षकार है – बताते हुये पक्षकार बनाये जाने का अनुमति आवेदन एंव शपथ पत्र भी नहीं दिया है इसके वाद भी अपर आयुक्त व्दारा इन तथ्यों की अनदेखी करके अंतिम आदेश पारित करने में त्रृटि की है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक ने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 पोहरी व्दारा व्यवहार वाद कमांक 32 ए/2009 ई0दी0 (रामकुमार, बद्रीप्रसाद, श्रीमती विमला विरूद्व जमील शाह एंव ताराचंद) में पारित आदेश दिनांक 31.3.10 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया, जिसमें प्रतिवादी कमांक 2 म0प्र0राज्य कलेक्टर पक्षकार है। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण में संलग्न है। माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 पोहरी के आदेश दिनांक 31–3–2010 के अनुसार तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमांक 60/99–2000 अ 19 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2000 के पटटाग्रहीताओं को बैध भूमिस्वामी एंव आधिपत्यधारी घोषित किया गया है ।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 110 सहपठित 115,116 – व्यवहार न्यायालय के आदेश/डिकी – राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 110 – व्यवहार न्यायालय क आदेश/डिकी – राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी होने से तदाशय क नामान्तरण का अमल शासकीय अभिलेख में किया जावेगा।

किंतु अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने उक्त तथ्यों की अनदेखी क है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वर्ष 2000 से पट प्राप्ति उपरांत आवेदकगण ने उत्बड़–खाबड़ भूमि को समतल बनाने, मेढ़ों बंधान बनाने में एंव सिंचाई का साधन करने में तथा रखवाली हेतु खेत मकान बना लेने में काफी धन एंव श्रम खर्च किया है आवेदकगण गरीव हैं एंव

बच्चों के जीवनयापन का मात्र यही कृषि भूमि साधन है।

यदि आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार किया जावे, प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का पटटा तहसीलदार ने दिनांक 30.12.2000 को दिया है और 30.12.2000 के 13 वर्ष वाद भूमि पुनः शासकीय अभिलेख में शासन की लिखना आवेदकगण की आजीविका को प्रभावित करेगा और इतनी लम्बी अवधि वाद आवेदकगण को प्राप्त पटटे का अमल शासकीय अभिलेख से हटाना न्यायहित में उचित नहीं माना जावेगा, किन्तु अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने इन तथ्यों की अनदेखी की है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 70/2009—10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27—8—2013 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी पोहरी द्वारा प्रकरण कमांक 41/08—09 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 24—7—09 से आवेदकगण के नाम का शासकीय अभिलेख में किया गया अमल यथावत् रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर